दिनांक 30.06.2016 को अध्यक्ष जिला स्वच्छता समिति / जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्वच्छता समिति की बैठक की कार्यवृत्ति

पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 30.06.2016 को अपरान्ह 5.30 बजे जिलाधिकारी के कैम्प कार्यालय पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में समिति के निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम / विभाग
1.	श्री कुमार प्रशान्त	अध्यक्ष / जिलाधिकारी
2.	श्री एम0पी0 सिंह	उपाध्यक्ष / मुख्य विकास अधिकारी
3.	श्री बी0बी0 सिंह	सदस्य / जिला विकास अधिकारी
4.	डा0 डी0के0 सिंह	सदस्य / अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
5.	श्री शैलेन्द्र कुमार राय	सदस्य / आई0सी0डी0एस0
6.	श्री डी0एस0 गुप्ता	सदस्य / उ0प्र0 जल निगम
7.	श्रीमती मीना श्रीवास्तव	सदस्य / जिला समाज कल्याण अधिकारी
8.	सुश्री चन्दना राम इकबाल यादव	सदस्य / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
9.	श्री गोविन्द सरन श्रीवास्तव	सचिव / जिला पंचायत राज अधिकारी
10.	श्री संतोष कुमार सिंह	जिला कन्सलटेन्ट एस0बी0एम0 (जी0)
11	श्री अजय कुमार सिंह	जिला कन्सलटेन्ट एस0बी0एम0 (जी0)

1– बैठक में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी वार्षिक कार्ययोजना (Annual Implementation Plan) पर समिति के समक्ष चर्चा की गयी। स्वच्छ शौचालय निर्माण के वार्षिक लक्ष्य 27150 हेतु वांछित धनराशि मु0--3258.00 लाख रू0 के सापेक्ष जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि मु0--309.43 लाख रू0 को तत्काल ग्राम पंचायतों में अवमुक्त कर शौचालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने तथा शेष वांछित धनराशि मु0–2948.57 लाख रू0 का मांग पत्र निदेशालय को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

2– गत वर्ष 2015–16 के अवशेष 3598 शौचालय जिनके लिए धनराशि ग्राम पंचायतों में अवमुक्त है, का निर्माण प्रत्येक दशा में 15 जुलाई, 2016 तक पूर्ण कराने तथा निर्मित शौचालयों का भारत सरकार की बेब–साईट पर शत–प्रतिशत एम0आई0एस0 एवं फोटो अपलोडिंग का कार्य दिनांक 25.07.2016 तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। अध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्मित शौचालयों का नियमित रूप से क्रास सत्यापन कर गुणवत्ता पूर्वक शौचालय का निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये एवं लाभार्थियों को शौचालय के प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाय।

वर्ष 2015–16 मे निर्मित कराये गये शौचालयों के खराब एम0आई0एस0 प्रगति एवं फोटो अपलोडिंग के प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया गया। गत 07 दिनों मे मात्र 288 एम0आई0एस0 फीडिंग एवं 10 फोटो अपलोडिंग का कार्य किये जाने पर अध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति / जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में शत–प्रतिशत एम0आई0एस0 एवं फोटो अपलोडिंग का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतिदिन के प्रगति की समीक्षा सहायक विकास अधिकारी [illegible]

[illegible]

3— अध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति/जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) ग्रामों प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए अब तक जनपद के ट्रिगर किये गये 26 ग्राम पंचायतों के प्रगति सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। बैठक में यह तथ्य संज्ञान में आया कि अभी तक मात्र 7 ग्राम पंचायतों निगरानी समिति का गठन कर नियमित रूप से सुबह और शाम को फालोअप की गतिविधि संचालित की रही है, शेष 19 ग्राम पंचायतों में ठीक—ढंग से निगरानी समिति का गठन नही कराया गया है और न नियमित रूप से फालोअप की गतिविधियां संचालित हो रही है। ग्राम पंचायतों में निकाली जा रही स्वच्छता में भी ग्राम पंचायत/विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिभाग नही कि जा रहा है, यह कदापि उचित नही है। ओ0डी0एफ0 हेतु चिन्हित ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करा के सभी गतिविधियों में अनिवार्य रूप से ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें तथा लोग मिशन मोड में कार्य करें।

ओ0डी0एफ0 हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों में वरीयता क्रम में गंगा किनारे के ग्राम पंचा विभिन्न वर्षो के चयनित समग्र ग्राम एवं पोषण मिशन के अन्तर्गत चिन्हित ग्राम पंचायतों को लिया जा ओ0डी0एफ0 हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों में, जिनके पास निजी पक्के मकान है, उन्हे स्वयं शौचालय बनाने लिए प्रेरित किया जाय। साथ ही पास पड़ोस के लोगों को भी शौचालय के निर्माण एवं प्रयोग के लिए प्रे करें। साथ ही ग्रामीणों को खुले में शौच न करने का जज्बा उनके अन्दर विकसित करें। सफाई कर्मियों रोजगार सेवकों के लिए निर्देशित किया गया कि अपने—अपने घरों में शौचालय का निर्माण कराये त शौचालय निर्माण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

15 जुलाई, 2016 तक कम से कम दो ग्राम पंचायतों को ओ0डी0एफ0 घोषित करने हेतु स के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

4— जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि मु0—309.43 लाख रू0 के सापेक्ष वर्ष 2016—17 के चयनि 27 डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में कुल लक्ष्य 2984 के सापेक्ष 27 समग्र ग्रामों में 1485 शौचा जिससे 27 के सापेक्ष 8 ग्रामों में लक्ष्य के अनुरूप शत—प्रतिशत धनराशि अवमुक्त हो जायेगी, खुले में शौच मु हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों में 650 शौचालय एवं आदर्श सांसद ग्राम में चयनित ग्राम जरखोर कला में शौचालय तथा पोषण मिशन के तहत 7 ग्रामों में 350 शौचालय कुल 2535 शौचालय निर्माण हेतु मु0 304 लाख रू0 निम्न विवरण/मांग के अनुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने पर समिति के सदस्यों/अध्यक्ष सहमति व्यक्त की गयी।

1— वर्ष 2016—17 में चयनित समग्र ग्राम में शौचालय निर्माण का प्रस्ताव

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	समग्र ग्राम का नाम	समग्र ग्राम में शौचालय का लक्ष्य	शौचालयो की संख्या जिसके लिये धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव है।	धनराशि		
						केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	2	3	4		5	6	7	8
1	नियामताबाद	गोपालपुर	गोपालपुर	55	55	396000	264000	660[illegible]
2	नियामताबाद	फत्तेपुर	फत्तेपुर	150	50	360000	240000	600[illegible]

3	नियामताबाद	बरहुली	बरहुली	150	50	360000	240000	600000
4	सदर	धनेजा	नौगरहां	78	78	561600	374400	936000
5	सदर	पुरवां	पुरवां तााल्लुका चकिया	105	50	360000	240000	600000
6	सकलडीहा	नसीरपुर पट्टन	नसीरपुर पट्टन	103	50	360000	240000	600000
7	सकलडीहा	नागेपुर	नागेपुर	160	50	360000	240000	600000
8	सकलडीहा	ओनावल	ओनावल	167	50	360000	240000	600000
9	सकलडीहा	कोड़रियां	कोड़रियां	96	50	360000	240000	600000
10	चहनियां	मथेला	मथेला	121	50	360000	240000	600000
11	चहनियां	सोनबरसा	सोनबरसा	75	75	540000	360000	900000
12	चहनियां	विशुनपुरा	विशुनपुरा	109	50	360000	240000	60000
13	धानापुर	बहादुरपुर लोकुआं	मठउच्छालीगरी	95	50	360000	240000	60000
14	धानापुर	सिलौटा	सिलौटा	115	50	360000	240000	60000
15	धानापुर	पगहीं	पगहीं	110	50	360000	240000	60000
16	धानापुर	बेवदां	रनपुर	65	65	468000	312000	78000
17	धानापुर	नेकनामपुर	नेकनामपुर	100	50	360000	240000	60000
18	बरहनी	मुहम्मदपुर	मुहम्मदपुर	198	50	360000	240000	60000
19	बरहनी	घोसवां	केतकहनी	148	50	360000	240000	6000
20	शहाबगंज	अमरसीपुर	अमरसीपुर	111	50	360000	240000	6000
21	शहाबगंज	विशुनपुरवां	विशुनपरवां	165	50	360000	240000	6000
22	शहाबगंज	राममाड़ो	राममाड़ो	120	50	360000	240000	6000
23	चकिया	पचफेड़िया	पचफेड़िया	70	70	504000	336000	8400
24	चकिया	भरूहियां	ददरा	50	50	360000	240000	6000
25	चकिया	विठवलकलां	विठवलकलां	60	60	432000	288000	7200
26	नौगढ़	चुप्पेपुर	चमेरबाध	126	50	360000	240000	6000
27	नौगढ़	मरवटियां	बोदलपुर	82	82	590400	393600	9840
		योग :—		**2984**	**1485**	**10692000**	**7128000**	17820

2– खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) ग्रामों में शौचालय निर्माण का प्रस्ताव

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	बेस लाईन सर्वे के अनुसार कुल परिवार	ग्राम में निर्मित/निमार्णाधीन कुल शौचालयों की संख्या जिनके लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।	शौचालय विहीन परिवारों की संख्या	शौचालयों की संख्या जिसके लिये धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव है।	धनराशि		
							केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नियामताबाद	मुहम्मदपुर	263	211	52	50	360000	240000	6000
2	सदर	केशवपुर	293	237	56	50	360000	240000	6000
3	सदर	पखनपुरा	236	97	139	100	720000	480000	12000
4	सदर	सुल्तानपुर	239	56	183	50	360000	240000	6000
5	चहनियां	मजिदहां	424	247	177	50	360000	240000	6000
6	चहनियां	खण्डवारी	478	162	316	100	720000	480000	12000
7	चकिया	लालपुर	302	173	129	50	360000	240000	6000
8	चकिया	गवैया	369	106	263	100	720000	480000	12000
9	सकलडीहा	विशुनपुरा (गोहदा)	65	5	60	50	360000	240000	6000
10	सकलडीहा	ताजपुर (हरिहरपुर)	123	53	70	50	360000	240000	6000
	योग :–					650	4680000	3120000	78000

3– सांसद आदर्श ग्राम एवं पोषण मिशन के अन्तर्गत ग्रामों में शौचालय निर्माण का प्रस्ताव

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	शौचालयों की संख्या जिसके लिये धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव है।	धनराशि		
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	सदर	जरखोरकलां	50	360000	240000	6000
2	सदर	बिसौरी	50	360000	240000	6000
3	चकिया	फिरोजपुर	50	360000	240000	6000
4	चहनियां	सराय रसूलपुर	50	360000	240000	6000
5	चहनियां	लक्ष्मनगढ़	50	360000	240000	6000
6	चहनियां	रामगढ़	50	360000	240000	6000
7	चहनियां	पकड़ी	50	360000	240000	6000

8	नियामताबाद	दुलहीपुर	50	360000	240000	600000
योग :-			400	2880000	1920000	4800000

5— गंगा एक्शन प्लान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत अब तक अवमुक्त 6088 शौचालयों के सापेक्ष 4579 शौचालय की प्रगति पर अध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि 15 दिवस के अन्दर समस्त शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराते हुए एम0आई0एस0 एवं फोटो अपलोडिंग का कार्य कराया जाय।

उपाध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी चन्दौली द्वारा निर्देशित किया गया कि गंगा किनारे के ग्राम को बेस लाईन सर्वे तथा वास्तविक परिवारों का मिलान करते हुए यह आकलित कर लिया जाय कि कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें संतृप्तीकरण के नजदीक है। सर्वप्रथम धनराशि ऐसी ग्राम पंचायतों को अवमुक्त करते हुए ग्रामों को खुले में शौच मुक्त किया जाय। गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत उपभोग की गयी धनराशि के उपभोग/आडिट प्रमाण पत्र शीघ्र ही निदेशालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

जिला परियोजना समन्वयक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि 48 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 13 ग्राम पंचायतें ऐसी है, जिनमें बहुत कम लक्ष्य शेष है। उपलब्ध धनराशि से इन ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण प्रारम्भ कराते हुए गांव को शीघ्र ही ओ0डी0एफ0 करने का प्रयास किया जायेगा।

6— सामुदायिक शौचालय के निर्माण के क्रम में जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016—17 में 16 सामुदायिक शौचालय निर्माण का लक्ष्य है। सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु योजना में इकाई लागत मु0—2.00 रू0 निर्धारित है। सामुदायिक शौचालय के डिजाईन व प्राक्कलन के अनुसार वर्तमान में मु0—4.70 लाख रू0 लागत आ रही है। अध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति/जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की धनराशि से डबटेल करते हुए निर्माण कराया जाय। वरीयता क्रम में बाजार के नजदीक के ग्राम पंचायत/बाजार का रूप ले चुकी ग्राम पंचायतों में या ऐसी ग्राम पंचायत जहां व्यापक पैमाने पर मेला का आयोजन किया जाता है, वहां निर्माण कराया जाय।

7— सालिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत माडल के रूप में कुछ ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर कार्ययोजना तैयार की जाय। डोर—टू—डोर कूड़ा उठान एवं उसके प्रबंधन की उचित व्यवस्था करायी जाय। सफाई कर्मियों द्वारा नियमित साफ—सफाई कराये जाने के निर्देश दिये गये।

8— स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित हो रहे शौचालय की गुणवत्ता में सुधार के क्रम में सचिव, जिला स्वच्छता समिति/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराना है कि मण्डी समिति परिसर में प्री—कास्ट लैट्रिन का निर्माण कराया जा रहा है। समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0), सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधानों को प्री—कास्ट लैट्रिन के सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है। कुछ ग्राम पंचायतों में मांग के अनुरूप प्री—कास्ट लैट्रिन का निर्माण कराया जा रहा है। प्री—कास्ट लैट्रिन की गुणवत्ता संतोषजनक है।

जनपद में सेनेटरी नैपकिन उत्पादन के क्रम में पंचायत उद्योग चन्दौली द्वारा पंचायत भवन कटेसर विकास खण्ड—नियामताबाद में सेनेटरी नैपकिन उत्पादन यूनिट की स्थापना की गई है। जिसका उद्घाटन मण्डलायुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल वाराणसी द्वारा दिनांक 29.04.2016 को किया गया। पंचायत उद्योग द्वारा लगभग 6500 इकाई सेनटेरी नैपकिन का उत्पादन किया गया है। सेनेटरी नैपकिन का विक्रय उत्पादन अभी प्रारम्भ नही हुआ है। जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

9— आई0ई0सी0 गतिविधियां— सचिव, जिला स्वच्छता समिति/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत लोगों के स्वच्छता व्यवहार में परिवर्तन लाने के क्रम में निरन्तर लोगों के बीच विभिन्न माध्यमों से आई0ई0सी0 गतिविधियां संचालित किया जाना है। जिससे कि बच्चों, बुर्जुर्गों, महिलाओं एवं पुरूषों में स्वच्छता व्यवहार एवं सुविधाओं के प्रति परिवर्तन लाया जा सकें। मुख्यतः ग्रामों द्वारा शौच के लिए शौचालय का निर्माण कर उसका प्रयोग करने तथा खुले में शौच की कुप्रथा को समाप्त करना है। इस हेतु विभिन्न चरणों में जनपद स्तर पर मास्टर ट्रेनर एवं प्रशिक्षकों की टीम तैयार करनी होगी जो ओ0डी0एफ0 हेतु चिन्हित ग्रामों में/गंगा किनारे के ग्रामों/समग्र ग्रामों/पोषण मिशन के तहत चिन्हित ग्रामों में जाकर लोगों में स्वच्छता व्यवहार के प्रति जन जागरूकता, निगरानी समितियों का गठन तथा समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता (सी0एल0टी0एस0) विधि से लोगों को शौचालय प्रयोग करने की जानकारी देंगें। इस हेतु के चरण में जनपद स्तर पर, विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाना होगा तथा सी0एल0टी0एस0 विधि से जन जागरूकता लाने हेतु सक्षम स्वयं सेवी संस्थाओं को अधिकृत किया जाना उचित होगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्रामों में स्वच्छता दूतों को चिन्हित कर परिवारों व जागरूक कर खुले से शौच मुक्त ग्राम करने पर प्रति परिवार रू0 150.00 रू. प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा। यह धनराशि दो चरणों में दी जायेगी, प्रथम मांग सृजन एवं निर्माण के उपरान्त मु0—75.00 रू0 तथा ग्रामीण द्वारा निरन्तर छः माह तक शौचालय का प्रयोग करने की स्थिति में द्वितीय चरण में 75.00 रू0 दिया जायेगा। यह धनराशि आई0ई0सी0 मद से व्यय किया जाना प्राविधानित है। जनपद में वृहद् पैमाने पर जन जागरूकता लाने हेतु विकास खण्डवार स्वच्छता रैली निकालने तथा विभिन्न आयोजनों में स्वच्छता सम्बन्धी स्टॉल लगाये पोस्टर, बैनर, फ्लैक्सी बैनर, हैण्डबिल के द्वारा स्वच्छता के सन्देश प्रसारित किया जाना उचित होगा। इस हेतु आवश्यकतानुसार स्वच्छता सम्बन्धी फ्लैक्सी बैनर, हैण्डबिल, पाठ्य सामग्री मुद्रित कराना होगा। उपरोक्त गतिविधियां किये जाने हेतु समिति के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

प्रशासनिक व्यय

क्र0सं0	मद	प्राविधानित धनराशि
	परियोजना के नियोजन, समन्वय, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निम्न विवरण के अनुसार धनराशि को प्राविधानित करने का प्रस्ताव है।	
1	जनपद स्तर पर पी0ओ0एल0— — छः माह के लिए।	120000.00
2	फैक्स/टेलीफोन/मोबाइल के बिलों का भुगतान — छः माह के लिए।	66000.00
3	योजनान्तर्गत कम्प्यूटर स्थापित है, इस कम्प्यूटर हेतु, पेपर, टोनर, सी0डी, इण्टरनेट कनेक्शन एवं अन्य व्यवस्था हेतु।	30000.00
4	जनपद स्तर पर एवं विकास खण्ड स्तर पर अनुश्रवण हेतु प्रपत्रों का मुद्रण एवं समीक्षा बैठको के आयोजन पर प्रस्तावित व्यय।	50000.00
5	जिला स्वच्छता समिति कार्यालय में प्रयोग हेतु स्टेशनरी/कंटिंजेंसी।	40000.00
6	जिला परियोजना समन्वयक (02 पद) हेतु संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर मानदेय (छः माह के लिए)	420000.00
7	खण्ड प्रेरक के मानदेय का भुगतान (छः माह के लिए)	630000.00
8	कम्प्यूटर आपरेटरों के मानदेय का भुगतान (छः माह के लिए)	510000.00
9	परियोजना के गतिविधियों के संचालन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु अधिग्रहित किए जाने वाले वाहन को छः माह हेतु अनुमानित किराया।	306000.00
10	जिला परियोजना समन्वयकों के यात्रा भत्ता भुगतान पर विचार :—	50000.00
11	इन्वर्टर एवं बैट्री क्रय किया जाना	35000.00
	योग :—	2257000.00

10— प्रशासनिक—

1— अध्यक्ष जिला स्वच्छता समिति/जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा योजना के निगरानी/मूल्यांकन हेतु पूर्व में
अध्यक्ष जिला स्वच्छता समिति/जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा योजना के निगरानी/मूल्यांकन हेतु पूर्व में वाहन अनुबंधित किया गया था। उक्त वाहन में तकनीकी खराबी होने के कारण वाहन का अनुबंध समाप्त करते हुए दूसरा वाहन संख्या—यू0पी0 67 टी0 7001 माह—अप्रैल, 2016 से मु0—35000.00 प्रति माह की दर पर पुनः अनुबंधित किया गया है। वाहन अनुबंध किये जाने की सहमति समिति के सदस्यों द्वारा प्रदान की गयी।

2— अध्यक्ष जिला स्वच्छता समिति/जिलाधिकारी महोदय, चन्दौली के अनुमोदन दिनांक 01.08.2015 के क्रम में श्री संतोष कुमार सिंह, जिला परियोजना समन्वयक के अनुबंध का विस्तार दिनांक 30.06.2016 तक किया गया था। अनुबंध के विस्तार के सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों द्वारा श्री सिंह के द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः श्री सिंह का अनुबंध आगामी 11 माह अर्थात 31.05.2017 तक नवीनीकरण किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

3— आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात कम्प्यूटर आपरेटर के आउटसोर्सिंग संस्था का अनुबंध जून 2016 तक ही है। इस सम्बन्ध में समिति के सदस्यों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए संस्था के अनुबंध का नवीनीकरण आगामी 11 माह अर्थात 31.05.2017 तक किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

4— जनपद स्तर पर एवं विकास खण्ड स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात जिला कन्सलटेन्ट एवं खण्ड प्रेरक के मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि निदेशालय से प्राप्त निर्देश के क्रम में भुगतान किया जायेगा।

5— कार्यालय प्रयोग हेतु स्टेशनरी, यात्रा भत्ता, वाहन किराया एवं पी0ओ0एल0 आदि का भुगतान किये जाने हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

6— मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या—6/1886/2015—5/21/2015 लखनऊ दिनांक 27.05.2016 के द्वारा मोबाईल मद में सहायक विकास अधिकारी (पं0) व खण्ड प्रेरक को रू0 400/— प्रतिमाह, जिला पंचायत राज अधिकारी को रू0 1000/— प्रतिमाह एवं जिला कन्सलटेन्ट को रू0 750/— प्रतिमाह दिये जाने के निर्देश है। उक्त भुगतान नियमानुसार किये जाने की सहमति समिति द्वारा प्रदान की गयी।

7— जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय के प्रयोगार्थ अतिरिक्त बैट्री एवं इन्वर्टर क्रय किया जाना। जिसे परचेज रूल्स के अनुसार क्रय करने की सहमति समिति द्वारा दी गयी।

अन्त में सधन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(कुमार प्रशान्त)
जिलाधिकारी
चन्दौली

पत्रांक 955 /7—पं0रा0/समीक्षा बैठक/2016—17 दिनांक 18 जुलाई 2016

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— जिला समाज कल्याण अधिकारी चन्दौली।
2— जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0) चन्दौली।
3— जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद—चन्दौली।
4— अधिशासी अभियन्ता जल निगम मुगलसराय।
5— जिला सूचना अधिकारी चन्दौली।
6— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चन्दौली।
7— परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चन्दौली।
8— मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद—चन्दौली।
9— मुख्य विकास अधिकारी जनपद—चन्दौली।

जिलाधिकारी
चन्दौली